

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2399


दिनांक: 14/9/11

कार्यालय आदेश

“राजस्थान जननी-शिशु सुरक्षा योजना” का शुभारम्भ दिनांक 12 से 14 सितम्बर 2011 तक किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत सभी प्रसुताओं को संस्थागत प्रसव कराने पर एवं 30 दिवस की उम्र तक के बीमार नवजात शिशुओं को सभी चिकित्सा सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें निःशुल्क दवाईयों एवं अन्य आवश्यक सामग्री, निःशुल्क जॉच, निःशुल्क परिवहन, एवं सभी प्रकार के यूजर चार्जस में छूट प्रदान की जायेगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं योजना का राज्य स्तर से रिव्यु किये जोन हेतु राज्य स्तर पर निम्न अधिकारियों को जोनेवाइज प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सभी अधिकारी अपने जोन के अधीन सभी जिलों से संलग्न प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट प्रतिदिन 6 बजे से पूर्व निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	मोबाईल नं.	संबंधित जोन
1	डॉ. नुपुर	संयुक्त निदेशक (आरसीएच)	9828019814	अजमेर
2	डॉ. इन्द्रा गुप्ता	नोडल अधिकारी (एसबीए)	9414459583	कोटा
3	डॉ. सुशिला साहरन	सलाहकार (एमएच)	9460842123	बीकानेर
4	डॉ. मनीष नामदेव	राज्य (आईएमएनसीआई) कोर्डिनेटर	8890552616	भरतपुर
5	डॉ. गिरिराज शर्मा	सलाहकार (एफआरयू)	9460842123	जोधपुर
6	श्री विनोद शर्मा	सलाहकार (एचबीपीएनसी)	9660572672	उदयपुर
7	श्री मनोज कुमार	सलाहकार (एसएनसीयू)	9950335742	जयपुर

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।



निदेशक (आरसीएच)

दिनांक: 14/9/11

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2399

प्रतिलिपि:—

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक—एनआरएचएम, जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


निदेशक (आरसीएच)

